United Nations Organization

Dr Vandana Upreti

Associate Professor

Dept of Political Science

Nari Shiksha Niketan PG College

Kaiserbagh, Lucknow.

Disclaimer

The e-content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic/commercial purpose is strictly prohibited. The users of the content shall not distribute, disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is developed from authentic references, to the best of my knowledge.

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

संयुक्त राष्ट्र संघ

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था इसमें इस विचार को स्पष्ट किया गया कि एक सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अनिवार्य था। सामूहिक सुरक्षा की धारणा पर आधारित संघ की रचना एक मुश्किल स्थिति में हुई। एक ओर तो विल्सन का आदर्शवाद था जिसे इसका आधार माना जा रहा था तो दूसरी ओर इसे गहन प्रतिशोध की राजनीति समझा जा रहा था। अन्य शब्दों में एक ओर पेरिस शान्ति सम्मेलन के संदर्भ में शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से यह संघ नियत किया जा रहा था तो दूसरी ओर ऐसी परिस्थितियां बनी हुयी थी कि इटली और जर्मनी जैसे देश अपनी भीषण नीतियों से पेरिस की इस शान्ति व्यवस्था को भंग करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे।

राष्ट्रसंघ की स्थापना के विचार ने विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान से चिरस्थायी शान्ति और किसी भी कीमत पर युद्ध की रोकथाम के प्रति ऊँची उम्मीदें जगायीं। किन्तु जैसे–जैसे स्थिति स्पष्ट होने लगी संघ की स्थिति निरन्तर असहाय होती गयी।

यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने और सदस्य राज्यों की वचनबद्धता के अभाव के कारण आवश्यक कार्यों का निरीक्षण करने में विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का उसकी जगह होने का यह बहुत बड़ा

फायदा है कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शान्ति स्थापित करने के लिए तैनात कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरे थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के उन प्रारम्भिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 01 जनवरी, 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून, 1945 तक सेनफ्रान्सिको में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेन्सियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आज इसका लक्ष्य भावी पीढ़ियों को युद्ध की भयावहता से बचाना है। इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना और राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को बढ़ावा देना है। यू0एन0 का घोषणा पत्र मानवविचारों का समर्थन करता है और इस बात को स्पष्ट करता है कि सभी देश सामजिक, आन्तरिक, मानवीय और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना मिल कर करें। सदस्य– 193 सदस्य देश अध्यक्ष–महासचिव Antonio Guterius, मुख्यालय–मैनहेटनटाप न्यूयार्क शहर न्यूयार्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना

अगस्त, 1941	अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन पी0एम0 चर्चिल द्वारा अटलान्टिक चार्टर पर हस्ताक्षर किये गये।
जनवरी, 1942	धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलान्टिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसम्बर, 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
फरवरी, 1945	तीन बड़े नेताओं रूजवेल्ट चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में यू0एन0ओ0 का एक सम्मेलन कराने का निर्णय लिया।
अप्रैल–मई,1945	सेनफ्रांन्सिसको में संयुक्त राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केन्द्रित दो महीने लम्बा सम्मेलन सम्पन्न।
26 जून, 1945	संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर पोलैण्ड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किये।
	इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं।
24 अक्टूबर, 1945	संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। यू0एन0डे0 यूनाईटेड नेशन दिवस।

30 अक्टूबर, 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल।

संयुक्त राष्ट्र के अंग

1– **महासभा**–संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सर्वाधिक बृहद एवं महत्वपूर्ण अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को अपने विभिन्न आकार, जनसंख्या, समाजिक–आर्थिक विकास, सैनिक व आर्थिक कुशलता के बावजूद प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है।

महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शान्ति और सुरक्षा के लिए सिफारिश, संयुक्त राष्ट्र के अंगों के सदस्यों का चुनाव, आर्थिक निर्णय, सदस्यों के प्रवेश–निष्कासन आदि के निर्णय दो तिहाई बहुमत के अनुसार होते हैं बाकी के निर्णय साधारण बहुमत के अनुसार ही लिए जाते हैं। हर सदस्य को एक मत मिलता है।

2–**सुरक्षा परिषद**–यह संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। इसमें 15 सदस्य हैं। 05 स्थाई व 10 अस्थाई। (प्रत्येक दो वर्ष के लिए) इन पांच स्थाई देशों को (चीन, फ्रान्स, रूस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन) विधिवत् मामलों में प्रतिषेध की (VETO) शक्ति है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए समान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं।

3–आर्थिक व सामाजिक परिषद– इस धारणा पर आधारित है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा केवल राजनीतिक और सैनिक स्थिरता पर ही

निर्भर नहीं करती बल्कि इसके लिए उच्च जीवनस्तर, पूर्ण रोजगार तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति और विकास की परिस्थितियों की आवश्यकता है। इसके सदस्यों का चुनाव महासभा करती है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। प्रत्येक सदस्य की अवधि तीन वर्ष होती है यह सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान संरक्षण व संवेदन के प्रति वचनबद्ध है। इसके कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के नाम– आर्थिक रोजगार एवं विकास आयोग, जनसंख्या आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी आयोग, एशिया व सूदूर पूर्ण के लिए अर्थिक आयोग और लैटिन अमेरिका के लिए आयोग आदि।

4–न्यास परिषद–इसकी व्यवस्था भी विभिन्न शक्तिओं में समझौते का परिणाम थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वि–उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया अल्प अवधि में ही समाप्त हो गयी जिसके परिणामस्वरूप एशिया व अफ्रीका के अधिकांश उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। इसके साथ ही न्यास परिषद का कार्य भी लगभग समाप्त हो गया।

5– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रमुख कानून है। साथ ही कानून से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर ही विचार करता है। राजनीतिक झगड़ो से इसका कोई सम्बन्ध नही है। ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें, तो कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। इसकी अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती है।

व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किये जा सकते। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 03 अप्रैल 1946 को हुई।

6.सचिवालय– संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों का केन्द्र है जिसमें महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है।

संदर्भ

1. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध––तपन विस्वाल (द्वितीय संस्करण)

2. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति––प्रभुदत्त शर्मा

3. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध––डा0 एस0सी0सिंहल

4. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति––प्रकाश चन्द्र

5. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति––डा0 बी0एल0 फाडिया।

6. International Politics-Dr. Sashi Shukla.

7- International Relations-Palmer and Perkins.